न्यायालय–अवर न्यायाधीश प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 360 / 2023

चन्दन प्रकाश.....वादी।

बनाम

अखिलेश राय वगै0..... प्रतिवादीगण।

आदेश

22.04.2024

उभय पक्ष की हाजिरी है। वादी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक– 29.01.2024 पर आज अभिलेख आदेश हेतु नियत है जिसमें वादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यह वाद सब जज प्रथम के न्यायालय द्वारा स्वत्व वाद सं0 291 / 2013 में पारित अवार्ड एवं डिक्री के आधार पर वादपत्र के अनुसूची 2 के दोनों विक्रय पत्रों को जाली फरेबी घोषित किये जाने हेतु किया गया है। वादी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि स्वत्व वाद सं0 291 / 2013 के अभिलेख को अभिलेखागार व्यवहार न्यायालय,बक्सर से मंगाकर उसमें सुलहनामा, वकालतनामा और अवार्ड पर से वादी की कथित लिखावट और न्यायालय के समक्ष लिये गये वादी के नमूना लिखावट से मिलान हेतु बिहार स्टेट फोरेन्सिक साइंस लेबोरेटरी, सरदार पटेल भवन पटना को भेजा जाये।

प्रतिवादी के तरफ से दिनांक– 28.03.2024 को प्रतिउत्तर दाखिल किया गया है जिसमें प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वादी का आवेदन कानून एवं तथ्य की दृष्टिकोण से विचारण योग्य नहीं है तथा वादी द्वारा इस वाद में अपनी स्पष्ट असफलता देखकर न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों का बार बार उल्लंघन करते हुये कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं तथा इस वाद को विलम्ब करने के उद्देश्य से यह झूठा आवेदन दिया गया है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि वादी का दावा कालबाधित है तथा वादी द्वारा

लगातार
22.04.2024
दाखिल आवेदन शपथ पत्र से समर्थित नहीं है तथा अनुरोध करते हैं कि वादी का आवेदन दिनांक– 29.01.2024 को खर्चा के साथ खारिज किया जाये।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा यह वाद स्वत्व वाद सं0 291/2013 में पारित अवार्ड एवं डिक्री तथा उसी आधार पर वादपत्र के अनुसूची–2 के दोनों विक्रय पत्र जाली फरेबी हैं जिनका वादपत्र के अनुसूची–1 में वर्णित निबंधित विक्रय पत्रों पर कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है, घोषित करने हेतु लाया है। अभिलेख का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि यह वाद स्वत्व वाद सं0 291/2013 में चंदन प्रकाश का जाली वकालतनामा दाखिल किया गया जिस पर चंदन प्रकाश का जाली हस्ताक्षर है तथा एक सुलहनामा दाखिल किया गया जिस पर चंदन प्रकाश (वादी) का जाली हस्ताक्षर है। चंदन प्रकाश न तो वकालतनामा पर न ही सुलहनामा पर हस्ताक्षर किया। इस प्रकार मेगा लोक अदालत में गलत ढंग से तथा एक षडयंत्र के तहत स्वत्व वाद सं0 291/2013 का अवार्ड बनवाया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है कि उक्त स्वत्व वाद सं0 291/2013 इस अभिलेख के साथ संलग्न नहीं है जिससे वकालतनामा तथा सुलहनामा के हस्ताक्षर को मिलान हेतु बिहार स्टेट फौरेंसिक साईंस लेबोरेटरी, पटना भेजा जा सके। ऐसी परिस्थिति में बिना मूल अभिलेख स्वत्व वाद सां0 291/2013 को इस अभिलेख पर रहते इस आवेदन पर कोई अंतिम आदेश पारित करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि स्वत्व वाद सं0 291/2013 का सम्पूर्ण अभिलेख सब–जज, प्रथम, बक्सर के न्यायालय से मंगाने हेतु एक अनुरोध पत्र लिखे। स्वत्व वाद सं0 291/2013 का मूल अभिलेख प्राप्त होने के पश्चात ही इस आवेदन पर अंतिम आदेश गुण एवं दोष के आधार पर पारित किया जायेगा।

<u>लगातार</u>
22.04.2024
वास्ते दिनांक–27.05.2024 प्रतिवादीगण के तरफ से वादी द्वारा दाखिल संशोधन आवेदन दिनांक– 06.03.2024 पर प्रतिउत्तर एवं इस वाद में वाद विवादक गठन हेतु।

लेखापित

ह0/–

(राकेश कुमार राकेश)
सब जज प्रथम, डुमरॉव।